अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

१(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., राज् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
22/08/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपील वाद संख्या-64/2021** **पार्वती कुमारी.....अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद पार्वती कुमारी, पति-श्री जयनन्दन कुमार, सा0-बलवा, वार्ड नं0-07, प्रखंड-सुपौल, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या-15/2021 में दिनांक-24.04.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा वाद सं0-01/2021 में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया तथा आमसभा में चयनित सीता कुमारी, पति-बीरेन्द्र पंडित को चयन पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के ग्राम पंचायत-बलवा, वार्ड नं0-07, स्थित आँगनबाड़ी केन्द सं0-360 के लिए सेविका चयन हेतु वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उनके द्वारा अपना सभी वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए आवेदन किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता के अतिरिक्त विपक्षी सं0-01 सीता कुमारी के द्वारा भी आवेदन किया गया। तदनुसार औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन करते हुए दिनांक 21.12.2020 को आमसभा आयोजित कर विपक्षी सं0-01 सीता कुमारी का चयन कर दिया गया। आमसभा में भी पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा विपक्षी सं0-01 का प्रमाण-पत्र फर्जी रहने की आपत्ति की गई, किन्तु उसे दरकिनार कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2021	

दाखिल किया गया एवं सुनवाई पश्चात दिनांक 18.01.2021 को आदेश पारित कर विपक्षी सं0-01 सीता कुमारी का चयन रद्द कर दिया गया एवं महिला पर्यवेक्षिका को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सीता कुमारी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-15/2021 दाखिल किया गया। उक्त अपीलवाद में पुनरीक्षणकर्त्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा उनका पक्ष सुने बिना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा दिनांक 24.04.2021 को आदेश पारित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2021 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को विपक्षी सं0-01 सीता कुमारी को चयन पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु वर्ष 2018 में भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता तथा विपक्षी सं0-01 सीता कुमारी के द्वारा कंचन कुमारी के नाम से आवेदन समर्पित किया गया। उक्त आवेदन के साथ विपक्षी सं0-01 के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से निर्गत प्रमाण-पत्र में उनका नाम कंचन देवी, पिता-दुर्गानन्द पंड़ित तथा जन्म तिथि 05.06.2000 एवं आवेदन में पति का नाम-बिरेन्द्र पंडित तथा ससुर का नाम बलराम पंडित अंकित किया गया था। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय, अन्दौली किशनपुर द्वारा आर0टी0आई0 से प्राप्त सूचना के अनुसार विपक्षी का वास्तविक नाम सीता कुमारी, पिता का नाम-परशुराम पंडित, माता का नाम-रानी देवी तथा जन्म तिथि-19.04.2003 है। वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में पुनः विपक्षी के द्वारा उक्त केन्द्र की सेविका हेतु आवेदन किया गया, जिसमें उनका नाम सीता कुमारी तथा जन्म तिथि- 02.07.2000 अंकित की गई। वादी का कहना है कि उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0-01 के द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया एवं विपक्षी विज्ञापन प्रकाशन के दिन नाबालिग थीं एवं सेविका पद हेतु अयोग्य थी। उनके अनुसार विपक्षी सीता कुमारी का दोनों प्रमाण-पत्र फर्जी है। इस प्रकार प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद हेतु पोषक क्षेत्र एवं बाहुल्य वर्ग की वे ही एकमात्र सर्वोच्च मेधाअंक प्राप्त योग्य अभ्यर्थी है। उनका कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार किये बिना उनके चयन

को रद्द कर दिया गया। तदालोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा पारित आदेश को नियम एवं वास्तविक तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने तथा उक्त स्थान पर उन्हें चयन-पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-01 सीता कुमारी की ओर उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस में भाग लेते हुए बताया गया कि न तो पुनरीक्षणकर्त्ता पार्वती कुमारी का नाम और न ही उनके पति अथवा ससुर का नाम वर्ष 2011 एवं 2016 ई0 के पंचायत मतदाता सूची में अंकित है। वस्तुतः पार्वती कुमारी सपरिवार सुपौल नगर परिषद वार्ड नं0-01 की वासी हैं, जिस बावत वर्ष 2017 ई0 का नगर परिषद वार्ड नं0-01 के मतदाता सूची के क्रमांक-15 पर पार्वती कुमारी के पति का तथा क्रमांक-985 पर स्वयं पार्वती कुमारी का नाम दर्ज है। विपक्षी सं0-01 के द्वारा दाखिल लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि पार्वती कुमारी का राशन कार्ड भी नगर परिषद, सुपौल के पता पर बना है और उसपर वे अनाज का उठाव भी कर रही है। उनका कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि विपक्षी सं0-01 का वास्तविक नाम सीता कुमारी है तथा उसी नाम के मध्यमा के प्रमाण-पत्र तथा उसमें अंकित जन्म तिथि 02.07.2000 ई0 के आधार पर उनका चयन किया गया है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न नियमन पारित किया जा चुका है, जिसमें प्रवेशिका (मैट्रिक) से पूर्व दो-तीन जन्म तिथि को अस्वीकार करते हुए मैट्रिक में दर्ज जन्म तिथि को विधिमान्य माना गया है। विपक्षी सं0-01 के द्वारा साक्ष्य के रूप में मैपिंग पंजी की छायाप्रति संलग्न करते हुए बताया गया है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र की मैपिंग पंजी में पुनरीक्षणकर्त्ता का नाम नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामला आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019 से प्रेरित है तथा उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका-4 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीता कुमारी, पति-बिरेन्द्र पंडित सर्वोच्च मेधा अंकधारी थी, जिसके आधार पर आमसभा में सर्वसम्मति से किये गये उनके चयन के

संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा उक्त चयन को सम्पुष्ट किये जाने का निर्णय सही है। पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा चयनित सेविका के विरूद्ध की गई आपत्तियों को इस स्तर पर भी साक्ष्य से सम्पुष्ट नहीं किया जा सका है। तदालोक में निम्न न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

22/8/22

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

22/8/22

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2348 /विधि सहरसा, दिनांक 23-8-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-64/2021 में दिनांक-22.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-15/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-01 से 06 तक एवं अन्य कागजात-01 से 107 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती पार्वती कुमारी, पति-जयनन्दन कुमार / श्रीमती सीता कुमारी, पति-बिरेन्द्र पंडित, दोनों सा0-बलवा, वार्ड नं0-07, प्रखंड-सुपौल, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।